कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.(146) / FMDSS / प्रमुवसं / उवसं / सू.प्रौ. / 2017–18 / 3087 दिनांक : 24/11/17

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश कमांक प1(81)वन / 2014 दिनांक 22.11.2017 (प्रति संलग्न) से FMDSS (Forest Management & Decision Support System) के अंतर्गत दिनांक 01.12.2017 से विभाग द्वारा खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र ऑनलाईन जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। दिनांक 30.11.2017 के उपरान्त कोई भी आवेदन ऑफलाईन नहीं लिए जावेंगे। उप वन संरक्षकगणों को 15 दिवस में आवेदनों पर निर्णय करना होगा तथा संबंधित मुख्य वन संरक्षकगण इसकी नियमित मोनिटरिंग करेंगे।

इस कम में निर्देश दिये जाते है कि सभी उप वन संरक्षकगणो एवं मुख्य वन संरक्षकगणों को उनकी SSO ID से Login करने पर Gov. apps में भरे forest and wild life (Icon) के अंतर्गत सभी प्रकार के आवेदन अधिकारी के डेश बोर्ड पर उपलब्ध होंगे। विस्तृत रूप से देखने पर आवेदन संबंधी न्यूनतम आवश्यक सूचनाऐं डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी, जो कि निर्णय लेने में सहायक होंगी। अधिकारी आवश्यकता अनुसार मौके का निरीक्षण कर / करवा सकते है। समस्त स्थितियों में आवेदनों का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में करना अनिवार्य होगा।

24/11/17

(डॉ. ए.के. गोयल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ.(146) / FMDSS / प्रमुवसं / उवसं / सू.प्रौ. / 2017–18 / 3088-3120 दिनांक : 24/11/17

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, (वन) शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर ।
6. निदेशक, खान विभाग, उदयपुर।
7. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास / वन्य जीव / मुख्यालय / श्रम एवं विधि / उत्पादन / FCA/भूसंरक्षण / M&E / CAMPA/वनसुरक्षा / प्रशासन / एन.टी.एफ.पी. / राजस्थान जैव विविधता परियोजना–II राजस्थान,
8. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर / जयपुर / अजमेर / भरतपुर ।
9. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव भरतपुर / वन्य जीव जोधपुर / वन्य जीव कोटा / वन्य जीव, उदयपुर / वन्य जीव जयपुर / विभागीय कार्य जयपुर, आर.वी.पी. कोटा एवं एफ.पी.आर. जयपुर।

(बिपिन कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.1(81)वन / 2014

दिनांक : 22.11.2017

आदेश

राज्य सरकार की नीति के अनुरूप ई–गर्वनेन्स के अंर्तगत Forest Management and Decission Support System (FMDSS) http://fmdss.forest.rajasthan.gov.in विकसित किया जा चुका है। जिसके अन्र्तगत विभाग की विभिन्न सेवाऐ ऑनलाईन की जा चुकी हैं।

इस कम में खान विभाग द्वारा इस विभाग से खनन हेतु प्राप्त किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अब FMDSS के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते है जिससे कार्य अधिक त्वरित गति से सम्पादित हो सकेंगे।

अतः दिनांक 01.12.2017 से विभाग से खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन FMDSS पर करना अनिवार्य होगा। इस तिथि के उपरान्त कोई आवेदन ऑफलाईन स्वीकार्य नहीं होगे। दिनांक 31.11.2017 तक प्राप्त आवेदन पूर्वानुसार ही निस्तारित किये जायेंगे। संबंधित उप वन संरक्षक, ऑनलाईन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस में आवेदन पर निर्णय करेंगे। सम्बंधित मुख्य वन संरक्षक इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

आज्ञा से

22/11/17

(योगेन्द्र कुमार दक)
शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ), राजस्थान, जयपुर। WLPFS
4. अतिरिक्त प्रधान मख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, खान विभाग, उदयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, जनसम्पर्क, वन विभाग, जयपुर।

22/11/17

(गणेश कुमार वर्मा)
विशेषाधिकारी, वन

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.1(81)वन/2014 दिनांक : 22.11.2017

शुद्धि पत्र

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.2017 के पैरा नं0 3 की पंक्ति संख्या 3 में अंकित **दिनांक 31.11.2017 के स्थान पर दिनांक 30.11.2017 पढ़ा जावे।**

(गणेश कुमार वर्मा)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त प्रधान मख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, खान विभाग, उदयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, जनसम्पर्क, वन विभाग, जयपुर।

विशेषाधिकारी, वन